

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/24/मु.न./276/2024 (243/13)

दिनांक 01.07.2024

निमित्त,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 276/2024 (243/13) अनवान गोविन्द पिता रामपाल जाति तेली उम्र 16 वर्ष नाबालिग बबिलायत माता सरक्षक सोहनी देवी उर्फ सोनू तेली निवासी टीटोडा माफी तहसील जहाजपुर बनाम मु०प्रेम पुत्री किसनी बेवा हजारी तेली निवासी टीटोडा माफी हा०मु० पत्नी भंवरलाल तेली-माली मोहल्ला केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर मु०हीरा पुत्री किशनी बेवा हजारी तेली निवासी टीटोडा माफी हा०मु०पत्नी कन्हैयालाल तेली निवासी साकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर में संशोधित डिक्री की पालना, बाबत

* मु. सं. 276/2024 (243/13) टीटोडा माफी तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में संशोधित डिक्री की पालना, बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में दर्ज विषय प्रकरण में गोविन्द पिता रामपाल जाति तेली उम्र 16 वर्ष नाबालिग बबिलायत माता सरक्षक सोहनी देवी उर्फ सोनू तेली निवासी टीटोडा माफी तहसील जहाजपुर बनाम मु०प्रेम पुत्री किसनी बेवा हजारी तेली निवासी टीटोडा माफी हा०मु० पत्नी भंवरलाल तेली-माली मोहल्ला केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर मु०हीरा पुत्री किशनी बेवा हजारी तेली निवासी टीटोडा माफी हा०मु०पत्नी कन्हैयालाल तेली निवासी साकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर में संशोधित डिक्री जारी की गई है जिसकी पालना कर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में भिजवाने की सुनिश्चितता करे ।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम टीटोडा माफी पटवार हल्का गन्धेर भू अ. नि. क्षेत्र पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा की आराजी खसरा संख्या 36 रकबा 2-18 बीघा, आ.न. 264 रकबा 01-05 बीघा, कुल कित्ता 02 रकबा 04-03 बीघा में वादीयागण के 1/4 हक व हिस्सा, प्रतिवादी सं 1 का 1/4 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हक व हिस्सा, तथा प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 हक व हिस्सा का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। रामपाल का नाम विलोपित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.07.2024

मुहर

(सुरेन्द्र बी. पाटीदार)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

संशोधित डिकी व मुकदमें इब्तादाई

(ओ 20 रुल्स 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (शाहपुरा)
ब ईजलास — श्री सुरेन्द्र बी. पाटीदार, आर.ए.एस

अनवान

1. गोविन्द पिता रामपाल जाति तेली उम्र 16 वर्ष नाबालिग बबिलायत माता सरक्षक सोहनी देवी उर्फ सोनू तेली निवासी टीटोडा माफी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. सोहनी देवी उर्फ सोनू पत्नि रामपाल जाति तेली निवासी टीटोडा माफी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

वादीगण.....

बनाम

1. मु०प्रेम पुत्री किसनी बेवा हजारी तेली निवासी टीटोडा माफी हा०मु० पत्नी भंवरलाल तेली—माली मोहल्ला केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
2. मु०हीरा पुत्री किशनी बेवा हजारी तेली निवासी टीटोडा माफी हा०मु०पत्नी कन्हैयालाल तेली निवासी साकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर
3. मु०संजू देवी उर्फ मंजु पुत्री कालू तेली निवासी टीटोडा माफी हा०मु० पत्नी सांवरा तेली निवासी मेहरुकला तहसील केकडी जिला अजमेर
4. रामपाल पिता हजारी तेली निवासी टीटोडा माफी तहसील जहाजपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमि हॉल्डर तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत — 88 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :- 243/2013

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू उदायत व हाजरी श्री नारायण लाल शर्मा का मिनजानिब मुदई व श्री का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम टीटोडा माफी घटवार हल्का गन्धेर भू अ. नि. क्षेत्र पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा की आराजी खसरा संख्या 36 रकबा 2-18 बीघा, आ.न. 264 रकबा 01-05 बीघा, कुल किता 02 रकबा 04-03 बीघा में वादीयागण के 1/4 हक व हिस्सा, प्रतिवादी सं 1 का 1/4 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हक व हिस्सा, तथा प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 हक व हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रामपाल का नाम विलोपित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.07.2024

मुहर

(सुरेन्द्र बी. पाटीदार)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)